न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/40 **दायरा दिनांक : 08.02.2023**

उनवान

अनिकेश सिंह आयु 16 साल पुत्र अमरसिंह, जाति राजपूत, निवासी काचरा, तहसील अटरू नाबालिग जर्ये वली पिता अमरसिंह पुत्र श्री भीमसिंह, जाति राजपूत, निवासी काचरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. सूर्य प्रताप सिंह, आयु 26 साल पुत्र श्री अमरसिंह, जाति राजपूत, निवासी काचरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 30.09.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 187/2021 निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम एवं माल काचरा, तहसील अटरू में खाता संख्या 277 की खसरा नं. 100, 103, 109, 73/1145, 81, 83 कुल 6 किता की 7.77 हेक्टर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2022 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर साथ ही राजीनामा प्रस्तुत कर वादी अपीलांट को 1/2 हिस्सा आराजी का खातेदार टीनेन्ट स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वादी का वाद गैरकानूनी तरीके से खारिज कर दिया, जो स्वीकार किये जाने योग्य था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट वादी का वाद प्रथम दृष्टया ठोस तथ्यों पर आधारित था जिसे न मानकर वाद खारिज करने में भी अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 07.11.2022 निरस्त फरमाया जाकर वादी का वाद डिकी फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.12.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी अपीलांट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत वाद दायर कर वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से पर वादी को खातेदार कृषक घोषित करने की प्रार्थना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। प्रतिवादी कम 01 खातेदार सूर्य प्रताप सिंह द्वारा इकबाली जवाबदावा पेश कर यह कथन किया कि वाद पत्र की मद नं. 01 में वर्णित आराजी में 1/2 हिस्से पर वादी को खातेदार कृषक घोषित कर दिया जावे इसमें प्रतिवादी कम 01 को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही वादी अनिकेश सिंह नाबालिक पुत्र अमरसिंह द्वारा जर्ये वली पिता अमरसिंह के माध्यम से प्रतिवादी खातेदार सूर्यप्रताप सिंह पुत्र अमरसिंह के साथ मिलकर एक राजीनामा दिनांक 19.07.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर खाता सं. 277 की 7.77 हेक्टर भूमि में से मुताबिक राजीनामा 1/2 हिस्से पर वादी को खातेदार दर्ज किया जाए, यह निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर डिक्री पारित नहीं की जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। दोनों पक्ष राजीनामे से सहमत थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया। दोनों पक्ष सहमत हैं अतः पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की जाये।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त आराजी खातेदार सूर्यप्रताप सिंह पुत्र अमरसिंह के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादी व प्रतिवादी नं. 01 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा भी सलंग्न है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.11.2021 में प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब व राजीनामे का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए यह अंकित किया कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अनुसार ग्राम एवं माल काचरा, तहसील अटरू, जिला बारां की खाता संख्या 277 का खसरा नं. 100 रकबा 2.87 हेक्टर, खसरा नं. 103 रकबा 2.60 हेक्टर, खसरा नं. 109 रकबा 1.83 हेक्टर, खसरा नं. 73/1145 रकबा 0.33 हेक्टर, खसरा नं. 81 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नं. 83 रकबा 0.08 हेक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 7.77 हेक्टर भूमि प्रतिवादी क्रम 1 सूर्यप्रताप सिंह पुत्र अमरसिंह के खाते दर्ज है। विवादित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते कैसे विक्रय पत्र, दान, हक त्याग आदि दर्ज हुई, के संबंध में वादी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। वादी द्वारा विवादित आराजी को उसके पिता अमरसिंह द्वारा खरीद किये जाने का भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। विवादित आराजी के वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य पारिवारिक विभाजन का भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, केवल मौखिक कथन किया गया है। वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर स्वयं को खातेदार कृषक घोषित कराना चाहता है लेकिन वाद पत्र में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है वादी को विवादित आराजी के 1/2 भाग पर खातेदारी अधिकार किस आधार पर सृजित हुए हैं कि वादी द्वारा प्रतिकूल कब्जे काश्त या बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ के आधार पर भी खातेदारी अधिकार का अनुतोष नहीं चाहा है। वाद पत्र के मद क्रम 3 एवं राजीनामा दिनांक 19.10.2022 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी पारिवारिक सहमति से विवादित आराजी को वादी व प्रतिवादी के मध्य 1/2 – 1/2 हिस्से में विभाजन कराना चाहते हैं।

पारिवारिक सहमति/असहमति के आधार पर किसी कृषि आराजी का विभाजन का प्रावधान धारा 53 आर0 टी0 ए0 में किया गया है जो निम्नानुसार है –

"53 (2) – A division of holding shall be effected in the following manner- (i) by agreement between the co-tenants in respect of- (a) Such division of the holding and (b) the distribution of rent over the several portion in to which the holding is so divided, or

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(ii) by the decree or order of competent court passed in a suit by one or more the co-tenants for the purpose of the dividing the holding and distributing the rent hereof over the several portion into which it is divided".

धारा 53 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कृषि आराजी का विभाजन केवल सहखातेदारों के मध्य ही किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में विवादित आराजी का एक मात्र खातेदार प्रतिवादी कम 1 है अर्थात् विवादित आराजी सहखातेदारी में दर्ज नहीं है और जब कोई आराजी सहखातेदारी के रूप में दर्ज नहीं है तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक राजीनामा के आधार पर खाता विभाजन नहीं किया जा सकता है। वादी एवं प्रतिवादी कम 1 आपसी सहमति के आधार पर दान या बेचान के माध्यम से विवादित आराजी को सब रजिस्ट्रार अटरू के कार्यालय से खाते दर्ज करा सकते हैं। अतः अपील के इस स्तर पर हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.11.2022 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.11.2022 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30/09/24

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अनिकेश सिंह आयु 16 साल पुत्र अमरसिंह, जाति राजपूत, निवासी काचरा, तहसील अटरू नाबालिग जर्ये वली पिता अमरसिंह पुत्र श्री भीमसिंह, जाति राजपूत, निवासी काचरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)

.... **अपीलांट**

बनाम

1. सूर्य प्रताप सिंह, आयु 26 साल पुत्र श्री अमरसिंह, जाति राजपूत, निवासी काचरा, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, जिला बारां

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2023/40**
मु.द.नं0 **187/2021**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, अटरू**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **07.11.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **25 माह 09** सन् **2024**

श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 07.11.2022 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **30 माह 09 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)